तारीख हुक्म	(डिक्री पालना) इजराय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र० सं० 91/2011 कुस v/s- गणेश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम मे जारी हुए
4-12-2019	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष हाजिर। तहसीलदार खेरवाड़ा ने बताया कि डिक्री की अपील हो गई थी उसके पश्चात वादी गण उपस्थित नही हुए। वर्तमान मे वादीगण अलग से रह रहे है तथा करवाए अनुसार काबिज काश्त है लेकिन पत्रावली अधिक कोर्ट मे लम्बित होने के कारण करवाए नही किया गया तथा डिक्री पालना नही की। अर्ज जवाब मे बहस वादीगण वकील ने बताया कि डिक्री की पालना अमल मे नही हुई है अतः पालना की जावे। अधिक कोर्ट का डिक्री का स्टे नही है अतः पालना की जावे। बहसमनन पश्चात पत्रावली खारिज की जाकर अधिक कोर्ट के निर्णय पश्चात पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने की स्वतन्त्रता के साथ प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। 4.12.2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)	